विविध बैंक प्रकरण संख्या 142 /2023(GCMS : 2023/299)

ए यू स्मॉल फाईनंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेडके नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय – 4–ई–8 जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हॉस्पीटल , श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता –पोर्टफोलियां कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

<u>बनाम</u>

1. **अनिरूद्ध ट्रेडर्स,** दुकान नं. 154, मुरब्बा नम्बर 90, नई धानमण्डी रोड़, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पिन–335041
2. **सतीश कुमार गोयल** पुत्र श्री हेमराज गोयल निवासी 4–थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर
3. **पंकज गोयल** पत्नी श्री सतीश कुमार पुत्री श्री ओम प्रकश निवासी वार्ड नम्बर 9, 4–थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>23.11.2023</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री सुरेन्द्र मेहन्दीरत्ता, अधिवक्ता उपस्थित हुए और उन्होनें प्रार्थी बैंक की ओर से विड्रो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया हुआ है। प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थीगण अनिरूद्ध ट्रेडर्स, सतीश कुमार गोयल एवं पंकज गोयल द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पंकज गोयल की **सम्पत्ति मकान नं. 4(क्षेत्रफल 14 गुणा 31.6 फीट), थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात** [illegible] **है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त [illegible] आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर [illegible] पत्रावली का अवलोक[illegible] तो पाया कि प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:47:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण अनिरूद्ध ट्रेडर्स, सतीश कुमार गोयल एवं पंकज गोयल के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में पंकज गोयल की **सम्पत्ति मकान नं. 4(क्षेत्रफल 14 गुणा 31.6 फीट), थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:47:29 IST
Reason: SelfAttested